भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5709

27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पश्चिमी घाट में औषधीय पौधों की खेती

5709. श्री यदुवीर वाडियारः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिमी घाट क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, जिनमें नर्सरी के लिए समर्थन, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री और किसानों एवं पारंपरिक संग्राहकों का क्षमता निर्माण शामिल है;

(ख) क्या मैसूरु और कोडागु सहित कर्नाटक के किन्हीं जिलों को औषधीय पौधों के विकास के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत चिन्हित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी घाट में किसानों और वन-सीमांत समुदायों को औषधीय पौधों की खेती और सतत कटाई के लिए कितनी वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा पुनर्खरीद व्यवस्था, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को समर्थन, प्रसंस्करण अवसंरचना और आयुष उद्योग की आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण सहित सुनिश्चित बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कौन-से सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती तथा संग्रहण सतत एवं जैव-विविधता के अनुकूल तरीके से किया जाए?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय पश्चिमी घाट के क्षेत्र सहित पूरे देश में "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना" का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित गतिविधियों के लिए परियोजना-आधारित सहायता प्रदान की जाती है:

i. औषधीय पादप संरक्षण एवं विकास क्षेत्रों (एमपीसीडीए) के विकास के माध्यम से स्व-स्थाने संरक्षण।
ii. स्व-स्थाने/बाह्य-स्थाने संसाधन संवर्धन।
iii. हर्बल उद्यानों की स्थापना के माध्यम से बाह्य-स्थाने संरक्षण।
iv. संयुक्त वन प्रबंधन समितियों/पंचायतों/वन पंचायतों/जैव विविधता प्रबंधन समितियों/स्वयं सहायता समूहों के साथ आजीविका संबंध स्थापित करना।
v. आईईसी गतिविधियाँ जैसे प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ/संगोष्ठियाँ/सम्मेलन आदि।
vi. अनुसंधान एवं विकास।
vii. विपणन।

viii. औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रवर्ती और पश्चवर्ती लिंकेज स्थापित करना जिसमें निम्नलिखित गतिविधियों के लिए सहायता दी जा रही है:

- औषधीय पादपों की खेती के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु बुनियादी ढांचा।
- किसानों को जागरूक करने हेतु सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां।
- औषधीय पादपों की बाज़ार में बिक्री बढ़ाने, उपज का मूल्यवर्धन करने, लाभप्रदता बढ़ाने और नुकसान कम करने हेतु फसल कटाई के बाद प्रबंधन और विपणन हेतु बुनियादी ढांचा।
- कच्चे माल का गुणवत्ता परीक्षण एवं प्रमाणीकरण।

अब तक, एनएमपीबी ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रवर्ती और पश्चवर्ती लिंकेज (एकीकृत घटक) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से कुल 15 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। देश भर में औषधीय पादपों के संवर्धन हेतु एनएमपीबी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम/सम्मेलन/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए 138 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय, ने रीजनल-कम-फैसिलिटेशन सेंटर (आरसीएफसी) के माध्यम से देश में औषधीय पादपों के संवर्धन और विकास के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उपरोक्त योजना के अंतर्गत समर्थित गतिविधियाँ किसी विशेष राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश भर से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित हैं।

(ख): आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने 2015-16 से 2020-21 तक औषधीय पादपों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना लागू की थी। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के 'औषधीय पादप ' घटक के तहत, कर्नाटक सहित पूरे देश में चयनित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से मिशन मोड में चिन्हित क्लस्टर/जोन में 140 प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पादपों की बाजार-आधारित खेती को समर्थन देते हुए कार्यान्वित किया गया था। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की गई थी:

(i) किसानों की भूमि पर प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पादपों की खेती।
(ii) गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति के लिए पश्चवर्ती लिंकेज के माध्यम से नर्सरियों की स्थापना।
(iii) अग्रवर्ती लिंकेज द्वारा फसल कटाई के बाद का प्रबंधन।
(iv) प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन बुनियादी ढांचा आदि।

आयुष मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादपों के घटक के तहत कर्नाटक में नर्सरी, फसल कटाई के बाद प्रबंधन इकाइयों और प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए 13 प्रजातियों जैसे सेन्ना (कैसिया एंगुस्टिफोलिया), आंवला (एम्बिका ऑफिसिनैलिस), मधुकारी (स्टीविया रेबाउडियाना), वाच (एकोरस कैलामस), कौंच (म्यूकुना प्रुरिता), श्वेत मुसली (क्लोरोफाइटम बोरिविलियनम), अगरवुड (एक्विलारिया एगालोचा), कालिहारी (ग्लोरियोसा सुपरबा), अशोक (साराका असोका), पिप्पली (पाइपर लोंगम), कोकम (गार्सिनिया इंडिका), पावड (टेफ्रोसिया परपुरिया), शतावरी (एस्परागस रेसेमोसस) की खेती हेतु सहायता प्रदान की थी। विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, एनएमपीबी ने अपने आरसीएफसी के माध्यम से कोडागु जिले में पाइपर लोंगम (लंबी मिर्च), ओसीमम टेनुइफ्लोरम (तुलसी), कैनारियम स्ट्रिक्टम (धूपा) और सराका असोका (अशोका) की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) का उत्पादन करने के लिए किसानों के एक समूह की पहचान की है।

(ग): एनएमपीबी ने औषधीय पादपों की खेती के लिए किसानों को वितरण हेतु गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्ध कराने और फसल कटाई के बाद प्रबंधन एवं विपणन के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रवर्ती और पश्चवर्ती लिंकेज के अंतर्गत कर्नाटक राज्य औषधीय पादप प्राधिकरण (केएएमपीए) को 120.00 लाख रुपये की राशि के साथ "कर्नाटक में औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रवर्ती और पश्चवर्ती लिंकेज (एकीकृत घटक)" नामक परियोजना को अनुमोदित किया है।

इसके अतरिक्त, एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय आरसीएफसी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) उपलब्ध कराता है और पश्चिमी घाट क्षेत्र में औषधीय पादपों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी), अच्छी कृषि संग्रहण पद्धतियों (जीएफसीपी) और फसल कटाई के बाद प्रबंधन (पीएचएम) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। आरसीएफसी (दक्षिणी क्षेत्र) ने कर्नाटक में औषधीय पादपों के उत्पादकों को वितरण हेतु 54 औषधीय पादपों की प्रजातियों की 19,43,410 गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) उपलब्ध कराई है।

(घ): औषधीय पादपों के व्यापार को एक मंच प्रदान करने और बाजार पहुंच को सुगम बनाने के लिए, एनएमपीबी द्वारा औषधीय पादपों/जड़ी-बूटियों के प्रचार-प्रसार और विपणन हेतु "ई-चरक" मोबाइल एप्लिकेशन के साथ-साथ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। "ई-चरक" एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश भर में औषधीय पादपों के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों, मुख्य रूप से किसानों के बीच सूचना आदान-प्रदान को सुगम बनाता है। "ई-चरक" एप्लिकेशन अलग-अलग स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है और यह पूरे भारत के 25 हर्बल बाजारों से 100 औषधीय पादपों का पाक्षिक बाजार मूल्य भी उपलब्ध कराता है। औषधीय पादपों की खेती/संग्रह में लगे किसानों को बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए, प्रमुख कंपनियों की विस्तृत आवश्यकताओं (खरीद विभाग के व्यक्ति के संपर्क विवरण सहित) को औषधीय पादपों की खेती को सहयोग देने वाली सभी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और आरसीएफसी के साथ साझा किया जाता है। एनएमपीबी, अपने आरसीएफसी के माध्यम से, औषधीय पादपों के किसानों/उत्पादकों के लिए बायबैक व्यवस्था के साथ-साथ बाजार संपर्क, क्रेता-विक्रेता बैठकों की सुविधा भी प्रदान करता है।

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार ने किसानों को सुनिश्चित बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें बाय-बैक व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। इनमें सामूहिक मोलभाव करने की शक्ति बढ़ाने और प्रत्यक्ष बाजार पहुंच को आसान बनाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना और मजबूत करना शामिल है। विभिन्न योजनाओं के तहत फसल कटाई के बाद और प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, संगठित आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जुड़ाव/एकीकरण के माध्यम से एफपीओ/किसानों द्वारा औषधीय और सुगंधित फसलों सहित उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति और आसान बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बाजार सुधारात्मक उपाय, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और संविदा खेती को सुगम बनाने जैसी पहलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ङ): एनएमपीबी ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में औषधीय पादपों की खेती और संग्रहण को टिकाऊ और जैव विविधता के अनुकूल बनाए रखने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। प्रमुख सुरक्षा उपायों में वन्य संग्रहण की तुलना में खेती को बढ़ावा देना, टिकाऊ कटाई दिशानिर्देश, हर्बल उद्यान स्थापित करना और समुदाय आधारित संरक्षण पहलों का समर्थन करना शामिल है।

1. वनों पर दबाव कम करने के लिए किसानों को जंगलों से जड़ी-बूटियाँ एकत्रित करने के स्थान पर औषधीय पादपों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
2. अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए सतत कटाई विधियों पर पुस्तिकाएँ और नियमावली प्रकाशित कीं है साथ ही संग्राहकों और स्थानीय समुदायों के लिए गैर-विनाशकारी कटाई तकनीकों (जैसे, चयनात्मक छंटाई, मौसमी संग्रह) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
3. सामुदायिक और संस्थागत भागीदारी - स्थानीय समुदायों, ग्राम वन समिति (वीएफसी), जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों और वन विभागों के साथ मिलकर संरक्षण को आजीविका के साथ एकीकृत करने का कार्य किया गया।
4. हर्बल उद्यानों की स्थापना।

संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक आयुष मंत्रालय की "राष्ट्रीय आयुष मिशन" (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत कर्नाटक में समर्थित गतिविधियों का विवरण								
सं.	**समर्थित गतिविधियां**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**कुल**
1	**औषधीय पादपों की खेती (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)**	529	706	769	469	353	1100	**3926**
2	**नर्सरी की स्थापना**	-	-	-	-	1	-	**1**
3	**फसल कटाई के बाद का प्रबंधन**	7	-	-	2	4	1	**14**
4	**प्रसंस्करण इकाई**	-	-	**1**	-	-	-	**1**